

16th September, 2021

BSE Limited, Floor – 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai –400 001

Scrip Code: 505729

Sub: Intimation of Notice given to the Shareholders whose Dividend and Shares are liable to be transferred to The Investor Education And Protection Fund.

Dear Sir/ Madam,

Intimation of Notice given to the shareholders whose dividend along with shares are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the Company has published notice in the newspapers intimating the equity shareholders who have not claimed dividend for a period of seven (7) consecutive years and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Account, asking the concerned to take appropriate action on or before November 19, 2021. The scan copies of the notice published in 'Indian Express' (English newspaper) and 'Jansatta' (Hindi newspaper) on September 15, 2021, is enclosed herewith for your reference.

We request you to take the above on record and that the same be treated as compliance under the applicable regulations.

Thanking you,

For Singer India Limited

(Priyanka Gandhi) Company Secretary

Encl: As above

CIN: L52109DL1977PLC025405

website http://gbpihed.gov.in.

Director

challenge to various provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, is pending before Supreme Court, and it will seek transfer of former J&K chief minister and PDP chief Mehbooba Mufti's petition to the apex court in view of the similarity in litigation.

The division bench of Chief Justice DN Patel and Justice Jyoti Singh adjourned to September 30 the hearing of Mufti's petition after Solicitor General Tushar

Section 50 of the Act. "Your lordships may record my statement that I intend to move a transfer petition," Mehta told the court.

Mufti, who in her petition had challenged summons issued to her by ED, has also laid challenge to Section 50 of PMLA and contended that the provision violates protection against self-incrimination. The provision needs to be revisited in light of a verdict passed by Supreme Court last year, she has said.

consent to initia court proceeding Bharti, editor of dopolitics.in, ow of the Supreme (

'I find that th video which has about 1.7 lakh perative, gross a tory to the Suprelitle. and the judicia ing clearly inte the courts. The by Mr Ajeet Bl

action(s).



Governor PS Sreedharan Pillai at an event to felicitate veterans from Goa who had participated in the 1971 war.

Victory over Pak in 1971 war India's greatest achievement: Goa Governor

EXPRESS NEWS SERVICE PANAJI, SEPTEMBER 14

GOA GOVERNOR PS Sreedharan Pillai on Tuesday said that the 1971 war was "the greatest achievement of our country in the field of war". Pillai was speaking at a commemorative event held at the Azad Maidan in Panaji to felicitate veterans from Goa who had participated in the 1971 war. The event was held as part of the Swarnim Vijay Varsh, celebrating the 'Golden Jubilee' of India's victory over Pakistan in 1971.

Pillai said there were lessons to be learnt from the 1971 war that led to the creation of Bangladesh and said all religions must come together and unite.

He also mentioned the national anthem of Bangladesh. "Bangladesh national anthem is (Amar) Sonar Bangla, even though it is declared as a particular religion's republic...

"I am stressing this because our country is the greatest country in the world. Pracheen Bharat... There was no persecution against ... by and large, I am

Manohar Parrikar Institute for

No.1 Development Encl **Delhi Cantonment** Website: www.idsa.

Advertisement No. ank **54th ANNUAL GENE**

The 54th Annual General Body Me2842 Institute for Defence Studies and 06th October, 2021 at 1200 hours invitations to the Life Members and However any Life member and Memb, any due to any reason may treat this as and of Please note that only LIFE MEMBE, the Body of the Institute.

Norms of social distancing and dimed measures will be ensured. and For any clarification please contact. iven

davp 10113/11/0019/2122

Patna Main Branch, §

The under noted locker holders have overdi them, they have neither paid the arrear rent decided to break open the under noted lock locker holders are finally advised through thi by paying the arrear rent within 15 days her help of the manufacturers at their cost and n be intimated to them in due course so that the Pont Arrear As on 31 07 2021 BOL

Locker Rent Affeat AS Off 31.07.2021 BO						
SI. No	Name of the Branch	Name of the Locker- holder	Recorded Ad the locker h			
1.	Patna Main Branch	Md. Illiyas	New Market 800001			
2.	Patna Main Branch	Chowdhury	Vill-Gorm Nawadi, Dis 802301			
3.	Patna Main Branch	Malti Kumari	Vill-Saidpu khagaul Patna			

nner al Manner

208

055.

Pursuant to the Rules, Equity Shares of the Company, in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Account established by the Central Government, after completion of seven years. The Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the said Demat Account for taking appropriate

The detail of such shareholders, unclaimed dividend and shares liable for transfer to IEPF Account is available on Company's website i.e. www.singerindia.net for information and necessary action by the shareholders.

regulations, pay matrix and allowances, detailed

advertisement, age/qualification, application

procedure and Proforma are available on Institute

SINGER INDIA LIMITED

(CIN: L52109DL1977PLC025405)
Regd. Office & Head Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial
Estate, New Delhi-110044
Tel: +91-11-40617777, Toll Free No. 1800-103-3474
E-mail: secretarial@singerindia.net, website: www.singerindia.net

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Account, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016 and amendments made thereunder.

Concerned shareholder(s) may immediately visit our website to verify the details of the unclaimed/unpaid dividend and the shares liable to be transferred to IEPF and approach the Company at the co-ordinates indicated below with necessary documents supporting their dividend claim. Failing receipt of communication by November 19, 2021, the Company will proceed to transfer the dividend and/or shares, by the due dates specified by the Rules or such further extended date as may be applicable, for necessary compliance. In this connection, please note that:

For shares held in physical form: New share certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the Demat account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new share certificate(s) the original share certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery.

For shares held in electronic mode: The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

The members may further note that the details made available by the Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for transfer of shares to IEPF. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

The Unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF, may be claimed by the concerned shareholder from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the aforementioned IEPF Rules.

For any queries on the subject matter, you may contact Secretarial Department at A-26/4, Mohan Cooperative Industrial Estate New Delhi - 110044, Phone: 011-40617777; Email: secretarial@singerindia.net

> By Order of the Board For Singer India Limited Priyanka Gandhi Company Secretary

NOTICE TO LY choosing Northern Railway



lution to transport your goods in a:-

Reliable Manner

Eco-friendly Manner

Patna Main Naveen A-87 Houvailable to cater to your transportation Branch Kumar Sinha Colony Karents at about 46 Goods Shed, situated in Patna Main Navin Kumar Postal Park, dana, Western Uttar Pradesh and Punjab.

Place: New Delhi Dated: 14.09.2021

Branch Patna Main Amit Ranjan Jora Managit aggregators, industries business leader

सार्वजनिक सूचना

20000010416 प्रतिभा सिंह, सोनू ब्रेश इंडस्ट्रीज ₹. 35,77,060/- 2021 2021 प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : मकान नं. 85/65 (29) ए-1, अराजी नं

201, जुहां खुदं, लक्ष्मीपुरवा, प्रराना, तहसील एवं जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश-208003 (क्षेत्रफल माप 125 वर्ग गज अर्थात 104.5 वर्ग मीटर), सीमाएँ : उत्तर : झुरी का प्लॉट, पूर्व : अनुराधा जिन्दल का प्लॉट, दुक्षिण : 30 फीट चौड़ी सडक, पश्चिम : अन्य का प्लॉट।

*तथा उपर्युक्त सम्बन्धित मांग सूचना में अधिक स्पष्ट वर्णित के अनुसार भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकरिमक व्यय, लागतें, भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपचियत प्रभार आदि। यदि कथित दायित्वधारीं उपर्युक्त कें अनुसार एचएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे, तो एचएचएफएल लागतों तथा परिणामों के लिए कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के पूर्ण जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एचएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों, का उल्लंघन य उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो वह अधिनियम के तहत प्रावधानित जेल तथा/जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

तिथि : 15.09.2021, स्थान : कानपुर

Ť

£

F

7

ह./- अधिकृत प्राधि कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटे

सिंगर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L52109DL1977PLC025405) पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय: ए-26/4, इतीय तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली -110044 टेली: +91-11-40617777, टोल फ्री नंठ. 1800-103-3474

ई-मेलः secretarial@singerindia.net, mail@singerindia.net, वेबसाइटः www.singerindia.net

शेयरघारकों को सूचना

7 सितम्बर, 2016 से प्रमावी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (''नियमावली'') तथा उसके अंतर्गत किये गये संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है।

नियमों के अनुसरण में, कंपनी के इक्विटी शेयर जिनके संबंध में लामांश निरंतर सात वर्षी या उससे अधिक समय से अदावाकृत या अप्रदत्त है, उन्हें सात वर्षों की समाप्ति के बाद केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (''आईआईपीएफ'') खाते में जमा किया जाना है।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर उचित कार्यवाही हेतु उक्त डीमैट खाते में अंतरण के लिए उत्तरदायी हैं।

ऐसे शेयरधारकों, आईईपीएफ खाता में अंतरण के लिये नियत दावा-रहित लामांश तथा शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.singerindia.net पर उनकी जानकारी तथा शेयरधारकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिये उपलब्ध है।

संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत दावा-रहित/अप्रदत्त लामांश तथा शेयरों के विवरण की जांच कर लें तथा उनकी लामांश का दावा का समर्थन करने वाली आवश्यक दरतावेजों के साथ नीचे दर्शाये गये पते पर कंपनी से सम्पर्क करें। 19 नवम्बर, 2021 तक प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर कंपनी नियंगावली द्वारा निर्दिष्ट नियत तिथि अथवा आवश्यक अनुपालन के लिए लागू होने वाली विस्तारित तिथि तक कंपनी लामांश एवं/अथवा शेयरों के अंतरण की कार्यवाई करेगी। इस संदर्भ में कृप्या ध्यान रहे कि:-

भौतिक पद्धति में घारित शेयरों के लिए: नए शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी किए जाएंगे तथा बिना कोई आगे सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में उसे अंतरित किया जाएगा। पुनः ऐसे नवीन शेयर प्रमाणपत्र(वों) के निर्गम पर आपके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे गलत डेलिवरी माना जाएगा।

इलेक्टॉनिक पद्धति से धारित शेयरों के लिए: उनके शेयर आगें बिना किसी सूचना के डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स की मदद से आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किया जाएगा।

सदस्यगण पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाइट पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणों को आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी द्वारा बुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करने के लिए पर्याप्त सूचना माना जाएगा। कृपया नोट करें कि कथित नियमों के अनुसार आईआईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित अदावाकृत लामांश राशि एवं शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

संबंधित शेयरधारक ऊपर वर्णित आईईपीएफ नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ में अंतरित दावा-रहित लामांश राशि तथा शेयरों का दावा कर सकते हैं

उक्त विषय पर किसी प्रकार की पूछताछ के लिए आप सर्विवीय विमाग से ए-26/4, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली -110044, फोनः 011-40617777; ईमेलः secretarial@singerindia.net पर सम्पर्क करें।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते सिगर इंडिया लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 14.09.2021

हस्ता / प्रियंका गांधी कंपनी सचिव

कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट ऐण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड

(37/20 नया), लखा बाग, दहरादून-248001, ऋण खाता नामः श्री मदन लाल, भुगतान तक लागता तथा संख्याः PR00334421, स्वीकृत ऋण राशिः पुत्र स्व. श्री अमर चंद चार्जेंज के साथ 19.03.2021 रु. 15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) से लागु ब्याज।

इसलिए आम कर्जदारों और सह–कर्जदारों को उपरोक्त मांग के अनुसार उपरोक्त निर्दिष्ट राशि पर ब्याज सहित उक्त बकाया राशि का भगतान इस मांग सुचना के 60 दिनों के भीतर करने के लिये कहा जाता है इसमें असफल होंने पर अधीहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभूतियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्रवाई करने के लिये विवस होंगे। अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके आधार पर आप उपरोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि की भीतर सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिये स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13)के अनुसार, आपको हमारी सहमति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपर्युक्त प्रतिभृतियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थानः देहरांदुन तिथि: 15.09.2021 कृते फोनिक्स आर्क प्राईवेट लिमिटेड अधिकृत अधिकारी

केनरा बेंक Canara Bank 🕸 एआएम-1 शाखा, ने. १६, स्पेनसर्स टावर,

फोन नं.08025588642, 25588641, एक्सटें.: 530 ई-मेलः cb2366@canarabank.com

बिक्री सचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पतियों वे प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल/चल सम्पत्तियों की विक्री के लिए ई-नीलामी विक्री सूचना

एतदृद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभृत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई∕चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केनरा बैंक के एआरएम शाखा−1, बेंग्लुरु के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा किया गया है, की 1. मैं. ग्लोबल एग्नि सिस्टम्स प्रा. लि. पंजी. कार्या.: जे10, ग्रीन पार्क मैन, नई दिल्ली-110016, 2. मै. सनशाइन एग्रि सिस्टम्स प्रा. लि., पुराना खुर्जा रोड, सिकन्दराबाद देहात, बुलन्दशहर (जिला) इत्तर प्रदेश, पिन-203001, 3. मै. अमाया फुइस प्रा. लि., गत नं. 77/3 पार्ट एवं 78, सिरसगाँव (विलेज), सिरसगाँव-कसाबे सुनकेने रोड, निफड़ (ताल एवं जिला), नासिक, महाराष्ट्र, पिन-422206, 4. श्री गोकुल पटनायक, निवासी टी-9 (एफएफ), ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, नई दिल्ली, पिन-1100016, 5. श्री रमेश बंगल, 7, ऑरेंज ग्रीव रोड, #03-146, सिंगापुर, पिन-258355 से केनरा बैंक के एआरएम-1 शाखा, बेंग्लुरू के बकाये आगे के ब्याज तथा लागत के साथ रु. 3469.92 लाख की वसूली के लिये 22.10.2021 (10.00बंजे पूर्वा. से 10,30 पूर्वा. तक) ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा 'जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है तथा धरोहर राशि का भुगतान 18.10.2021 के 5.00 बजे अप. या उससे पूर्व में किया जायेगा।

献	अचल/चल परिसम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मृल्य	ईएमडी राशि	बोली वृद्धि मूल्य
1	सिकन्दराबाद, देहातपाग, सिकन्दराबाद, तहसील बुलन्दशहर जिला में स्थित खाता खतूनी नं. 340/1846, खसरा नं. 1975/1, 1975/2, 1975/3, 1975/5, 1975/6, 1975/7, विस्तार 07 बीघा 16 विसवा भूमि की सम्मति जो 4.56 एकड़ के बराबर हैं, में में. सनशाइन एग्नि सिस्टम प्रा. लि. के नाम में भवन की सम्मति (कील्ड स्टोरेज यूनिट) के साथ भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: पुराना खुर्जी रोड, पश्चिम: डीएसबी फैब्रिकेशन पी. लि. की सम्मति, उत्तर: चाक रोड, दक्षिण: प्रेमपाल मनवीर, कलवा आदि की सम्मति।	₹.320.00 ₺	₹.32.00	₹.1.00
2	मैं. सनशाइन एप्रि सिस्टम्स प्रा.लिं. के नाम में सम्पत्ति में स्थित औद्योगिक यूनिट में उपलब्ध मशीनरीज	₹.41.00	₹.4.10	₹.0.50
3	शिरसगाँव विलेज, निफड़ तालुक, नासिक जिला में स्थित एसवाई नं. गत नं. 77/3 तथा 78, विस्तार 12,600 वर्ग मी. में मै. अमाया फूड्स प्रा.लि. के नाम में भूमि तथा भवन (कील्ड स्टोरेज यूनिट) का सभी भाग तथा हिस्सा, तथा चौहदी: पूर्वः गत नं. 77, पश्चिमः गत नं. 81 एवं 82, उत्तरः गत नं. 77 एवं 78, दक्षिणः गत नं. 80		₹.26.40	₹.1.00
4	मै. अमाया फूड्स प्रा.लि. के नाम में सम्पत्ति में स्थित औद्योगिक यूनिट में उपलब्ध मशीनरीज	₹.39.00	₹.3.90	₹.0.50

टिप्पणीः लॉट 1 के लिये बोली करने के इच्छुक व्यक्तियों को लॉट नं, 2 की सम्पत्ति के लिये भी अनिवार्य रूप से बोली करना होगा तथा लॉट नं. 3 के लिये बोली करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से लॉट नं. 4 की सम्पत्ति के लिये भी बोली करना होगा। जबकि, लॉट नं. 2 एवं 4 की सम्पत्ति के लिये स्वतंत्र रूप से की गई बोली भी स्वीकार की जायेग़ी। ज्ञात अधिभार यदि कोई हो: बैंक की जानकारी में नहीं। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्ती के लिये कृपया केनरा बैंक की वेबसाईट (www.canarabank.com) में दी गई ''ई-नीलामी लिंक'' देखें अथवा मुख्य प्रबंधक, एआरएम-1 शाखा, बेंग्लुरु केनरा बैंक, फोन तं. 9483532366 से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क करें।

स्थानः बंग्लुरु

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी केनग बैक

नर्ड दिल्ली

Į, ह दिती ы में 6 Ť, Ť, ना नी ाए से ची सी